प्रेस विज्ञप्ति
30.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2022 के प्रावधानों के तहत पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को लगभग 2.55 करोड़ रुपये (एफआईआर दर्ज होने के समय का मूल्य, यानी 19.10.2011) मूल्य की पांच अटैच की गई अचल संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये संपत्तियां घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स और उसके प्रबंध साझेदार संजय अग्रवाल के मामले में पीएमएलए जांच के दौरान अटैच की गई थीं। माननीय न्यायालय द्वारा वापसी की अनुमति दी गई अटैच की गई अचल संपत्तियों में तेलंगाना के रंगा रेड्डी और मेडक जिलों में स्थित एक भूखंड और कृषि भूमि शामिल हैं। वापस की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 16 करोड़ रुपये है।

ईडी ने 19.10.2011 को सीबीआई, बीएस एंड एफसी, बैंगलोर द्वारा मेसर्स घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स और उसके साझेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन पर एसबीआई को धोखाधड़ी से प्रेरित करके संजय अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत जाली बैंक गारंटी के आधार पर 250 किलोग्राम सोना जारी करवाने का आरोप लगाया गया था, जो कथित तौर पर पीएनबी द्वारा जारी की गई थी।

ईडी की जांच में पता चला कि धोखाधड़ी की खबर सार्वजनिक होने पर संजय अग्रवाल और उनके भाइयों अजय कुमार और विनय कुमार ने हैदराबाद के आबिड्स स्थित अपनी दुकान से सारा सोना निकाल लिया और उसे स्थानीय बाजार में नकद बेच दिया। इस सोने को पीएनबी के पास गिरवी रखा गया था। इस तरह कमाए गए धन को उन्होंने दिसंबर 2012 में संजय अग्रवाल द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खोली गई एक नई फर्म में निवेश किया। बाद में, उन्होंने अपने भाइयों और अपने एक कर्मचारी के नाम पर तीन और फर्म खोलीं। उनके परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा नियंत्रित फर्मों के नाम पर खोले गए कई बैंक खातों में बड़ी मात्रा में अज्ञात नकद जमा पाया गया। इसके अलावा, जांच में पता चला कि संजय अग्रवाल ने 'श्रीकांत गुप्ता' की फर्जी पहचान पर पासपोर्ट बनवाया था और कई बार विदेश यात्रा की थी तथा अपनी अवैध कमाई को छिपाने के लिए कई बैंक खाते खोले थे। धन के लेन-देन की जांच से ईडी अधिकारियों को उनके एक कर्मचारी अविनाश सोनी के नाम पर अर्जित बेनामी संपत्ति का भी पता चला।

इससे पहले, ईडी ने 11.02.2022 को संजय अग्रवाल को गिरफ्तार किया था और संजय अग्रवाल, उनके परिवार के सदस्यों और बेनामी लोगों से संबंधित 9 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। इस मामले में अभियोजन शिकायत ईडी द्वारा 11.04.2022 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष दायर की गई थी।

पंजाब नेशनल बैंक को पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष बहाली आवेदन दायर करने के लिए कहा गया था और ईडी ने जब्त की गई अचल संपत्तियों की बहाली के लिए सहमति व्यक्त की ताकि ऐसी जब्त की गई संपत्तियां धोखाधड़ी के शिकार यानी पंजाब नेशनल बैंक को वापस की जा सकें।

माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद ने 19.01.2026 के आदेश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दायर बहाली याचिका को स्वीकार कर लिया, जिससे जब्त की गई संपत्तियों की बहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ।